

न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी-श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 57 / 2023

वादी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. भारमलराम पुत्र पूराराम जातियान जाट निवासी झटकानी नाडी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा।	1. लुम्बाराम पुत्र पूराराम 2. कस्तू पत्नि पूराराम (फौत के कायम मुकाम वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 3) 3. अणदाराम पुत्र पूराराम जातियान कलबी निवासी नादिया तहसील बागोड़ा जिला सांचौर 4. वालाराम चौधरी पुत्र चैनाराम जाति कलबी निवासी नया चेनपुरा तहसील बागोड़ा जिला सांचौर 5. पुनमाराम पुत्र सवाराम 6. गणेशाराम पुत्र सवाराम 7. कनकोंदेवी पत्नि बाबूराम 8. हासीदेवी पत्नि घिमनाराम 9. गजरोदेवी पत्नि गेनाराम 10. धनाराम पुत्र गेनाराम 11. मेहरामाराम पुत्र गेनाराम 12. महादेवाराम पुत्र गेनाराम जातियान कलबी निवासी नादिया तहसील बागोड़ा जिला सांचौर 13. तहसीलदार सिणधरी।
--	--

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति-

1. श्री घिमनसिंह चौधरी, अधिवक्ता वादी की ओर से उपस्थित।
2. श्री पावूराम बेनीवाल अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1,5,6 व 9 से 12
3. प्रतिवादी सं. 13 पैरोकार उपस्थित, शेष एकतरफा।



सहायक कलक्टर
सिणधरी



निर्णय

दिनांक— 27.08.2024

संक्षिप्त में वादपत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं, कि मौजा— झटकानी नाडी पटवार हल्का कादानाडी तहसील सिणधरी के खेत खसरा नं. 201 रकबा 14.2384 हैक्टेयर के संबंध में प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 25.06.2025 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार सिणधरी को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड वाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था।

तहसीलदार सिणधरी द्वारा आदेश की पालना में न्यायालय द्वारा पारित माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तहसील सिणधरी में अवस्थित भूमि के मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार भी किया गया।

लिहाजा पक्षकारान का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा— झटकानी नाडी पटवार हल्का कादानाडी तहसील सिणधरी के खेत खसरा नं. 201 रकबा 14.2384 हैक्टेयर भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	ग्राम	खसरा नं.	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान	बरंग
1.	भारमलराम हि. 1/13, अणदाराम हि. 1/13 पि. पूराराम, कस्तुदेवी पत्नि पूराराम हि. 11/13 जाति कलबी सा. नादिया खातेदार।	झटकानी नाडी	201	1.6368	बा.दो.	0.25	बैगनी
2.	लूम्वाराम पुत्र पूराराम जाति कलबी सा नादियां खातेदार।	झटकानी नाडी	201	1.3850	बा. दो.	0.21	आसमानी
3.	पुनमाराम हि 1/3, गणेशाराम हि. 1/3 पि. सवाराम, धनाराम मेहरामाराम महादेवाराम पि. गेनाराम गजरोदेवी पत्नि गेनाराम हि. 1/3 जाति कलबी सा. नादिया खातेदार।	झटकानी नाडी	201	2.3084	बा.दो.	0.35	गुलाबी
			201	4.6167	बा.दो.	0.69	
			2	6.9251	बा.दो.	1.04	
4	कनकोदेवी पत्नी बाबूराम हि. 1/2 हांसीदेवी पत्नि चिमनाराम हि. 1/2 जाति कलबी सा. देह खातेदार।	झटकानी नाडी	201	1.0073	बा.दो.	0.15	हरा
			201	1.5109	बा.दो.	0.23	
			2	2.5182	बा.दो.	0.38	
4	वालाराम चौधरी पुत्र चैनाराम जाति कलबी सा. चैनपुरा तह. बागोड़ा खातेदार।	झटकानी नाडी	201	1.3850	बा.दो.	0.21	केसरिया
5	राज. सरकार (रास्ता)	झटकानी नाडी	201	0.3883	गै.मु.रा.		लाल

सहायक क्लर्क
सिणधरी



तहसीलदार सिणधरी को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामांतरकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा । डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करें ।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 27.08.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी